प्रेस विज्ञप्ति

07.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने विक्रमजीत सिंह और अन्य द्वारा विदेशी नागरिकों से 11.50 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी से संबंधित साइबर धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30/9/2025 को 2.85 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी ने एक अमेरिकी नागरिक की शिकायत पर हरियाणा पुलिस द्वारा विक्रमजीत सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच से पता चला है कि विक्रमजीत सिंह और आंचल मित्तल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर स्थापित किया था, जिसमें वे बैंक ऑफ अमेरिका के कर्मचारी बनकर काम करते थे। इस मामले में, उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक के कंप्यूटर तक अवैध पहुँच प्राप्त की और इस तरह 11.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। गलत तरीके से अर्जित धन का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया गया, जिन्हें बाद में बेच दिया गया और बिक्री की आय को रिश्तेदारों और अन्य संस्थाओं से संबंधित विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से लूटा गया। यह पता चला है कि अपराध के आगम (पीओसी) नकद में भी उत्पन्न हुई है जिसका उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि पीओसी को कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया है और मुख्य आरोपी विक्रमजीत सिंह द्वारा अपने करीबी पारिवारिक सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदने में इसका इस्तेमाल किया गया है। विक्रमजीत ने पीओसी का इस्तेमाल करके कई व्यक्तियों को ऋण भी दिए हैं और कई बिल्डरों को अग्रिम भुगतान भी किया है।

मुख्य मास्टरमाइंड विक्रमजीत सिंह के माता-पिता, श्रीमती सरिता देवी और जसबीर सिंह के नाम पर पीओसी से खरीदी गई दो अचल संपत्तियों, जिनका मूल्य 1.26 करोड़ रुपये है और 1.58 करोड़ रुपये की एफडीआर/बैंक बैलेंस, को कुर्क कर लिया गया है।

ईडी ने इससे पहले 29.07.2025 को विक्रमजीत सिंह और उनके सहयोगियों के आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था और अपराध-संकेती दस्तावेज/डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे और संदिग्ध व्यक्तियों के विभिन्न बैंक खातों में कुल 43.58 लाख रुपये की राशि फ्रीज कर दी गई थी।

आगे की जांच जारी है।